

दिल्ली विकास प्राधिकरण

राजनिवास, दिल्ली में दिनांक 19 जून, 2018 को प्रातः 10 बजे आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित उपस्थित थे :

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री उदय प्रताप सिंह

सदस्य

1. श्री के. विनायक राव
वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
2. श्री जयेश कुमार
अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
3. श्री मनोज कुमार
अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
4. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
5. श्री एस. के. बग्गा, विधायक
6. श्री ओ. पी. शर्मा, विधायक
7. श्री मनीष अग्रवाल
निगम पार्षद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

सचिव

श्री डी. सरकार

आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

विशेष अतिथि

1. श्रीमति रेणु शर्मा
प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
2. श्री राजीव यदुवंशी
प्रधान आयुक्त (यू.डी.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
3. डॉ. रणबीर सिंह
आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम
4. श्री मधुप व्यास
आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
5. श्री राजीव वर्मा
प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, भूमि प्रबंधन एवं एल.पी. एवं
(आवास, प्रणाली एवं पी.एम.ए.वाई.), दि.वि.प्रा.
6. श्री श्रीपाल
प्रधान आयुक्त (कार्मिक, उद्यान, भू-दृश्यांकन), दि.वि.प्रा.
7. श्री एस. सुरेंद्र
अपर मुख्य योजना, नगर एवं ग्राम योजना संगठन

उपराज्यपाल सचिवालय

1. श्री विजय कुमार
उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव
2. श्रीमती स्वाति शर्मा
उपराज्यपाल, दिल्ली की विशेष सचिव
3. श्री आर., एन. शर्मा
उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष सचिव

4. श्री रवि धवन
उपराज्यपाल, दिल्ली के संयुक्त सचिव
5. श्री अनूप ठाकूर
उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष अतिथियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया ।

मद सं. 20/2018

राजनिवास में दिनांक 11.04.2018 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

एफ. 2(2)2018/एम.सी./डी.डी.ए.

दिनांक 11.04.2018 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की परिचालित रूप से पुष्टि की गई ।

मद सं. 21/2018

दिल्ली मुख्य योजना-2021 में दुकान-सह-आवासीय प्लॉटों के विकास नियंत्रण मानदंडों में प्रस्तावित संशोधन

एफ. 3(10)2014/एम.पी.

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव को निम्नलिखित संशोधनों के साथ सहित अनुमोदित किया गया :

प्रस्ताव के पैरा 5.6.2 में शब्द “इत्यादि” को निम्नलिखित से बदला जाए :

“अथवा ऐसी अन्य कालोनियाँ जो दिल्ली मुख्य योजना-1962 से पहले अस्तित्व में थी किंतु दिल्ली मुख्य योजना में शामिल नहीं की गई थी (दस्तावेजी प्रमाण के अधीन)...”

एजेंडा मद के पैरा 2.1 और 3.0 में समाविष्ट प्रस्तावों को क्रमशः अंतिम अधिसूचना जारी करने और अनुमोदन हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को तत्काल भेजा जाए ।

एजेंडा मद के पैरा 2.2 में समाविष्ट नियामक उपायों को इसके कार्यान्वयन हेतु संबंधित स्थानीय निकायों, सरकारी एजेंसियों और अन्य संवैधानिक निकायों को भेजा जाए ।

मद सं. 22/2018

गैर-अनुरूपित क्षेत्रों में मौजूद गोदाम समूहों के पुनः विकास हेतु प्रस्तावित मानदंड-दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन के रूप में ।

एफ.3(84)2010/एम.पी.

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया :

प्रस्ताव (अनुलग्नक 1) के पैरा 6.4.1 (v) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए :

“v. एकल गोदाम के स्वामियों को योजनाएँ प्राप्त करने की आवश्यकता है इस एक वर्ष के भीतर 30.0 मीटर के गोदामों को अन्य अनुरूप क्षेत्रों/गोदाम समूहों में स्थानांतरित करना होगा । ऐसे गोदाम दी गई समय अवधि ।”

यह मामला अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को तत्काल भेजा जाए ।

श्री सोमनाथ भारती ने एफ.ए.आर ऊँचाई के अनुपात में बढ़ाने हेतु पैरा 6.4.1 (तालिका) में समाविष्ट प्रस्ताव के संबंध में अवलोकन किया । यू.बी.बी.एल.2016 के अनुसार जोखिम आधारित वर्गीकरण को देखते हुए श्री सोमनाथ भारती के सुझाव पर सहमति नहीं हुई ।

मद सं. 23/2018

**निजी स्वामित्व वाली भूमि का नियोजित विकास करने हेतु मसौदा विनियम ।
एफ.15(12)2010/एम.पी.**

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया :

प्रस्ताव का पैरा 4.1 को निम्नानुसार पुनः प्रारूपित किया जाए :

“ निजी स्वामित्व वाली भूमि पर विकास मौजूदा एम.पी.डी./जेड.डी.पी. में यथा अधिसूचित भूमि उपयोग के अनुसार या उस क्षेत्र के पहले से अनुमोदित लेआउट प्लान/योजनाओं में यदि कोई हो उल्लिखित भूमि उपयोग/परिसर उपयोग के अनुरूप होगा, या इन विनियमों में यथा निर्दिष्ट के अनुसार होगा ।

प्रस्ताव का पैरा 4.3 को निम्नानुसार पुनः प्रारूपित किया जाए :

“4.3 निजी भूमि के सरकारी या सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक उपयोग को उपलब्ध करवाने हेतु जहाँ कोई भूमि आवश्यक हौ, इसे संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा या तो पारस्परिक सहमत दर से या भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापन में उचित मुआवजा के अधिकार और पारदर्शिता अधिनियम, 2013

के प्रावधानों के तहत अधिग्रहीत किया जाएगा और संबंधित एजेंसी द्वारा तदनुसार उचित मुआवजे का भुगतान किया जाएगा ।”

प्रस्ताव का पैरा 5.8.2 निम्नानुसार पुनः प्रारूपित किया जाए :

5.8.2 यदि भूमि के किसी भी भाग का सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक उपयोग या किसी भी भौतिक अव संरचना (जैसे सड़क, जल निकासी सीवरेज, पीने के पानी की आपूर्ति आदि) के लिए आवश्यक हो तो इसे संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा या तो पारस्परिक सहमत दर से या भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः संरचना में उचित मुआवजा के अधिकार और पारदर्शिता अधिनियम-2013 के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित किया जाएगा और संबंधित एजेंसी द्वारा तदनुसार उचित मुआवजे का भुगतान किया जाएगा ।

प्रस्ताव का पैरा 10.3 को निम्नानुसार पुनः प्रारूपित किया जाए :

“10.3 शिकायत निवारण समिति के अधिनियम को (यदि संपत्ति मालिकों को स्वीकार्य ना हो) इस उद्देश्य हेतु अपीलीय समिति को भेजा जाएगा जो एक स्वतंत्र निकाय जैसे आर.ई.आर.ए. या प्राधिकरण द्वारा निर्धारण के अनुसार होगा। इस संबंध में अपीलीय समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

प्रस्ताव का पैरा 4.8 और 6.3 हटा दिया जाए।

अनुमोदन हेतु इस मामले को शीघ्र ही आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा जाए ।

मद सं. 24/2018

दि.वि.प्रा. द्वारा तेहखंड, ओखला में एस.डी.एम.सी. को आबंटित 61.546 एकड़

(24.91 हेक्टेयर) क्षेत्रफल के भूमि उपयोग को (i) 'आवासीय' (32.245 एकड़); (ii) 'वाणिज्यक, आवासीय एवं मनोरंजनात्मक' (15.101 एकड़) तथा (iii) 'वाणिज्यक (गोदाम एवं डिपो) एवं मनोरंजनात्मक' (14.20 एकड़) से योजना जोन-एफ में 'उपयोग (यू.4)' में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव ।
एफ.3(60)/2005-एम.पी./पी.टी.

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । इस मामले को अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को तत्काल भेजा जाए ।

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने सभी सदस्यों, विशेष अतिथियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों का बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया ।

बैठक अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई ।
